

कार्यालय: वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ०प्र०, झांसी
पत्रांक— 2726 / 33-1 / दिनांक, अप्रैल 01, 2023।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र० लखनऊ।

विषय:— जनपद झांसी में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्राम गुलारा, तिलैथा, बचावली एवं बुढपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु पाइप लाइन बिछाये जाने में प्रभावित संरक्षित वनभूमि 6.2793 हे० एवं आरक्षित वन भूमि 0.408 हे० कुल 6.6873 हे० वनभूमि पर बिना वृक्ष पातन का गैर वानिकी कार्य की अनुमति हेतु।

प्रस्ताव संख्या— FP/UP/Water/150514/2021।

- संदर्भ—
1. भारत सरकार का पत्रांक— 8B/UP/08/168/2022/FC/741, दिनांक 07.12.2022।
 2. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक—1947/11-सी, दिनांक 08.12.2022।
 3. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी का पत्रांक— 3803/15-1, दिनांक— 31.03.2023।

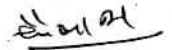
महोदय,

भारत सरकार के उपरेक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी ने अपने संदर्भित पत्र दिनांक 07.12.2022 द्वारा, उक्त लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की है।

अतः प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने की संस्तुति सहित प्रेषित है।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार।

भवदीय



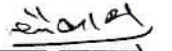
(कैलाश प्रकाश)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक

बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

पृष्ठांकन संख्या— 2726 / समदिनांक।

प्रतिलिपि— प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(कैलाश प्रकाश)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक

बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक 3803 /15-1

दिनांक, झांसी, मार्च 31, 2023

सेवा में,

✓ वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त, उ०प्र०, झांसी ।

विषय:- जनपद झांसी में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्राम गुलारा, तिलेथा, बचावली एवं बुढ़पुरा ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु पाइप लाइन बिछाये जाने में प्रभावित संरक्षित वनभूमि

6.2793 हे० एवं आरक्षित वनभूमि 0.408 हे० कुल 6.6873 हे० वनभूमि पर बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी कार्य की अनुमति हेतु ।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8B/UP/08/168/2022/FC/741, Date 07.12.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक-1947 /11-सी-FP/UP/Water/150514/2021, दिनांक 08.12.2022 ।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में भारत सरकार द्वारा 02 बिन्दुओं की आपत्तियां दर्शायी गयी। उक्त आपत्तियों का निराकरण कर निराकरण अभिलेख 04 प्रतियों में संलग्न कर संस्तुति सहित इस आशय से प्रेषित कि आपत्तियों का निराकरण अभिलेख संस्तुति सहित 03 प्रतियों में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को प्रेषित करने की कृपा करें। आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार है :-

क्र०स०	आपत्तियाँ	निराकरण
1	Comments of Chief Wildlife Warden need to be submitted.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोजेक्ट टाइगर/मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक, उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक-3846/26-11, दिनांक 06.03.2023 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है ।
2	CA scheme and related documents (kml file, land suitability certificate etc.) shall be provided for an area of 13.40 ha in Baghoura forest block (as per scheme submitted with the proposal) and shall be uploaded on PARIVESH PORTAL.	सी०ए० स्कीम प्राक्कलन, रिलेटिड अभिलेख सी०एस० डिजिटल मैप टोपोशीट मैप, के०एम०एल० फाईल सी०डी० में, भाग-2 एवं सी०ए० क्षेत्र का डी०एस०एस० रिपोर्ट व सी०एस० उपयुक्ता प्रमाण पत्र परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर संलग्नक सहित प्रेषित है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(एम०पी० गौतम)

प्रभागीय वनाधिकारी

झांसी वन प्रभाग, झांसी

पृष्ठांकन संख्या 3 /अ/समदिनांक

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी महोदय, उ०प्र०, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(एम०पी० गौतम)

प्रभागीय वनाधिकारी

झांसी वन प्रभाग, झांसी